



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12339

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1387/2026

दिनेश कुमार कश्यप

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

अनुराग वाजपेयी, प्रवीण कुमार सिंह

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के वकील श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर मुकदमे, अपराध संख्या 60/2025, धारा 103(1), 238(A) बीएनएस के अंतर्गत, पुलिस थाना - कपसेठी, जिला - वाराणसी, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग हेतु दायर किया गया है।
4. आवेदक के वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतया निर्दोष है और वर्तमान मामले में झूठे आरोपों में फँसाया गया है। सूचक एवं अन्य गवाहों को अदालत में पी.डब्ल्यू. 1 से 9 के रूप में परीक्षा में बुलाया गया, जिन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपने पूर्व में विवेचना अधिकारी को दी गई गवाहियों और एफ.आई.आर. के आरोपों से पूरी तरह पलटा लिया है। सार्वजनिक अभियोजक द्वारा उन्हें प्रतिकूल घोषित करने के बाद क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया। इस परिस्थितियों में वर्तमान मामले में दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है।
5. वकील ने आगे कहा कि आवेदक 24.05.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और ट्रायल में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का प्रबल विरोध किया, परंतु यह तथ्य अस्वीकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गवाह प्रतिकूल हो गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के तथ्य और परिस्थितियों, पक्षकारों के शिक्षित वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों तथा सर्वोच्च न्यायालय के स्थिर निर्णयों का अवलोकन करते हुए, जो कि **सतेन्दर कुमार अन्तिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 INSC 690** तथा **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595** में दिए गए हैं, और यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि गवाह प्रतिकूल हो गए हैं, बिना मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए योग्यता स्थापित की है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक - दिनेश कुमार कश्यप, जो उक्त मामले में अपराध संख्या में संलग्न हैं, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह एक व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 जनवरी, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।